Regional office
Rajasthan State Pollution Control Board
Address : F-470, Near UCCI Building, M.I.A, Udaipur (Raj.)
Email : rorpcbudaipur@gmail.com Phone no : 0294-2491269

Dated : 24/07/2023

No.: RPCB/RO U/UDR/ 654

To,

The State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA)
Rajasthan, Room No. 5221, Main Building,
Govt. Secretariat,
Jaipur, Rajasthan

Sub:- Regarding minutes of public hearing dtd. 13-06-2023 for Environmental Clearance of **M/s Infinity Infra, Quartz & Feldspar (Plot no.-37) N/v Bodki, Tehsil-Lasadia, Dist-Udaipur.**

Ref:- कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर का पत्र क्रमांक प.39/2(6)राज./खनन/2023/1338 दिनांक 25.04.2023 ।

Sir,

With reference to above, kindly find enclosed herewith a copy of Minutes of Public Hearing Meeting held on 13-06-2023 for proposed production of **M/s Infinity Infra, Quartz & Feldspar (Plot no.-37) N/v Bodki, Tehsil-Lasadia, District: Udaipur.**

A copy of attendance sheet, CD and album are also enclosed for ready reference.

Submitted for information & further necessary action.

Yours Faithfully,

(Sharad Saksena)
Regional Officer

Encl : As above

Copy to:-

1. The Member Secretary, RSPCB, Jaipur for information please.
2. Additional District Magistrate, Udaipur
3. Incharge, I.T. Cell, RSPCB, Jaipur
4. **M/s Infinity Infra, N/v Bodki, Tehsil-Lasadia, District: Udaipur.**

Regional Officer

मैसर्स इन्फिनिटी इन्फ्रा, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार माईन्स, पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई दिनांक 13.06.2023 प्रातः 11.00 AM बजे, राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द शोभाजी का गुडा, ग्राम–बोडकी, तहसील–लसाडिया, जिला–उदयपुर

यह जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 07.05.2023 एवं द सण्डे एक्सप्रेस में दिनांक 07.05.2023 को प्रकाशित करवा दी गई थी।

यह जनसुनवाई **"मैसर्स इन्फिनिटी इन्फ्रा"** द्वारा प्रस्तावित **क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार** खनन परियोजना (प्लॉट संख्या 37/2021 (लीज क्षेत्र 4.0906 हैक्टेयर) क्लस्टर के अन्तर्गत सभी खनन पट्टो को शामिल करते हुए कुल क्लस्टर क्षेत्र 19.9234 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 1406791 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार उत्पादन क्षमता 289300 TPA निकट ग्राम–ग्राम–बोडकी, तहसील–लसाडिया, जिला–उदयपुर स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रू. 28.21 करोड़ है।

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुनें तत्पश्चात आपको यदि इसके बाबत् कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आपका नाम तथा गांव का नाम बतायें साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझें हमें दे सकते हैं।

इस जनसुवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्व करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

भी ली जा रही है। इसकी सी.डी./ डी.वी.डी. के अनुरूप कार्यवृत बनाये जायेंगे। जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्योंकि इस इकाई को सन्दर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 31.12.2022 को इस कमेटी द्वारा जारी की है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तों की उद्योग द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्षमता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उद्योगमालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (**परिशिष्ठ "अ"** में सलंग्न) है।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय/तकनीकी सलाहकार कोंगनिजेन्स रिसर्च इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा उक्त इकाई के संबन्ध में तैयार की गई ई.आइ.ए रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की **संलग्नक ''ब''** के अनुसार है।

अतः कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आंमत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार हैः—

कोंगनिजेन्स रिसर्च इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली केतकनीकी सलाहकार द्वारा उक्त इकाई के संबन्ध में तैयार की गई ई.आइ.ए रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई।

क्षेत्रीय अधिकरी— कोई सुझाव हो तो?

1. **माइन्स ओवनर**—माईन्स अभी जो चल रही है तो कोई भी समस्या है तो बताओ।
2. **श्री विक्रम सिंह ग्राम बोडकीः**—पीने के पानी की समस्या है एवं स्कुल की अभी तक कोई व्यवस्था नही हुई। पहले भी दो बार मीटिंग हुई थी उसमें भी यही बात कही थी कि हमारे गांव में एक स्कुल की समस्या है, एक पीने के पानी की समस्या है और एक रोड की समस्या है। वो अभी तक हमारी पूरी नही हुई। यही हमारी मांग है।
3. **श्री फतह सिंह ग्राम बोडकीः**—हमारी समस्या है कि पशु के पानी के पीने की व्यवस्था हो।

(ओ.पी. बुनकर)
अति.जिला कलेक्टर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

4. **श्री घनश्याम मीणा ग्रामीणः–** ग्राम बोडकी, पंचायत समिति सुरजी का गुडा, तहसील लसाडिया। सर हमारे यहाँ पर विद्यालय, कम्प्युटर की व्यवस्था, बच्चों के लिये फर्निचर और पानी के लिये नल की व्यवस्था आर.ओ. हो ।

5. **तकनीकी सलाहकार श्री निमेस सिंगवीः–**भूमि की जो समस्या हैं उसमेंइनके भूमि के तहत रोड के रख रखाव एवं जो भी इनके मेटलाईजेशन रोड को करनाउसके लिये इनके 15 लाख रुपये का प्रोविजन दिया गया है। गांव के मवेशियों के चारे के लिये और गांव के पशुओ के पानी के लिये डेढ लाख रुपये हर साल एक प्रोविजन दिया गया है जो इसमें काम आयेगा।स्कुल में फर्निचर के लिये भी 2 लाख रुपये को प्रोविजन दिया गया है। कम्प्युटर के लिये भी 1 लाख रुपये का प्रावधान दिया है। इसी तरह जो चिकित्सा की बात करे तो चिकित्सा के लिये 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष लेसी अपना योगदान करेगे। उससे इन लोगों के स्वास्थ्य के लिये रहेगा। गांव में सफाई और इसके लिये भी एक फण्ड का प्रोविजन किया गया है जो इन लोगों के पेयजल के लिये भीUSEकिया जा सकता है और उसमें भी नियम और 2 लाख रुपये का प्रोविजन इसमें किया गया है तो इससे भी इस फण्ड से इनकी सारी सुविधाएं बढेगी।

क्षेत्रीय अधिकरीः–इसमें इनके Emplyoment नियम ?

तकनीकी सलाहकारश्री निमेस सिंगवी– Emplyomentनियम में तो 35 से 40 जनों को तो DirectEmplomentहो जायेगा और IndirectEmplyomentहोता है तो 100 %होगा।

क्षेत्रीय अधिकरी–Local लोगो को रोजगार ?

तकनीकी सलाहकारश्री निमेस सिंगवीः–लोकल लोगों को रोजगार देना पडता है क्योकि वो ही अवलेबल होगे।

6. **श्री लाल जी डोडियाग्रामीणः–** पहले मीटिंग हुई थी उस समय बोलते थे कि यु करा देगें–यु करा देगें। पहले बोला था कि पहले मीटिंग हुई थी उस टाईम बोला था कि पानी पहुँचवा देंगे। जो गर्मियों का टाईम था वो तो निकल गया। उसके बाद में बरसात आ जायेगी। उसके बाद क्या। पहले मीटिंग हुई थी उसमें बोला था, तो उसमें टेंकर भेजना था तो कोई व्यवस्था होनी चाहिये थी पानी की। जब जब बैठे तब बुला दिया फिर बैठे तब बुला दिया। उसके बाद में बरसात आ जायेगी उसके बाद में क्या

3011

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

है। हर टाईम में हर बार जनसुनवाई होगी हर टाईम बुलावोगा। उसके बाद में बरसात आ जायेबी। बरसात आने के बाद में पानी की जरूरत कहां पडेगी।

तकनीकी सलाहकारश्री निमेस सिंगवीः—लेसी पानी की व्यवस्था के लिये Comittmentकरे।

माईन्स ओवनरः—पानी की आपके जो भी समस्या है उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

7. **श्री जोधाराम ग्राम बोडकीः**—आप जून मे पानी की व्यवस्था करें। आप किस तरह पानी की व्यवस्था करेंगे।

माइन्स ओवनर—सरपंच साहब से बात करके जितनी भी जरूरत होगी करवा देंगे।

तहसीलदार :—इनको सिर्फ 15 दिन पानी की आवश्यकता है बाकी नही है।

श्री करण सिंह ग्राम बोडकीः—गांव वाले को कोई रोजगार नही मिल रहा है। बाहर वाले आकर कर रहे ह में 12 वी पास हुं मगर रोजगार नही है।

तकनीकी सलाहकारश्री निमेस सिंगवीः—सबसे पहले आप लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन आप जो काम कर पायेगे वो रोजगार आपको देंगे। अगर इनको टेक्निकल ऐसे आदमी की जरूरत है जो आपके यहॉ अवेलेबल नही है तो बाहर से लाकर काम करवाना पडेगा, लेकिन आप वो काम सीख लो तो बढिया रहेगा की आपको भी वो काम मिल जाये। हमारे लिये भी बढिया है कि यही लोकल आदमी को मिल जाये।

8. **तहसीलदार** :— रोजगार चाहते हो तो ये जो कंपनी है इसमें रोजगार के अवसर क्या है या तो आपमें कोई कम्पयुटर डिप्लोमा किया हो, जो कम्प्युटर चलाना जानता हो, ऐसा कोई हो डिप्लोमा होल्डर तो बताये जिसको रोजगार दे दूसरा ये कि आई.टी.आई में किसी ने कर रखा है तो जैसे कोई जेसीबी चलाने वाला हो या अन्य। ये सब बताये। बताओ आप की क्या क्या कर रखा है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर—ये आपकी बात मेने सुनली है लेकिन अभी जो मेन सुनवाई हो रही है उसमे आपके सुझाव आपत्ती है उसके बारे मे बोलो आप ताकि आपकी बातो का ध्यान रखा जाएगा।

क्षेत्रीय अधिकारी —और कोई बोलना चाहता है?

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

अन्तः में श्री ओ0पी0 बुनकर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, महोदय की अनुमति से श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकार्डिंग सी.डी (**परिशिष्ठ "द"** में सलंग्न) एवं फोटोग्राफ (**परिशिष्ठ "य"** में सलंग्न) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर–(प्रशासन), उदयपुर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रशासन)
जिला–उदयपुर

(शरद सक्सेना)
क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षे.का.,रा.प्र.नि.म., उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

मैसर्स इन्फिनिटी इन्फ्रा, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार माईन्स (प्लॉट संख्या 37/2021, क्षैत्रफल– 4.0906 हैक्टेयर) प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 289300 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार उत्पादन क्षमता 1406791 TPA निकट ग्राम– बोडकी, तहसील–लसाडिया, जिला–उदयपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 13.06.2023 को 11.00 AM बजे, राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द शोभाजी का गुडा, ग्राम–बोडकी, तहसील–लसाडिया, जिला–उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगणः–

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1.	O. P. Bunkar	ADM, Udaipur	[illegible]
2.	Sharad Saxena	RO RSPCB Udaipur	[illegible]
3.	Nirmal Singhvi	Director, CRSPL	[illegible]
4	Ram Prasad Khatik	TOR Rev.	[illegible]
5.	C.P. Jeengar	RPCB	[illegible]
6.	Kayrat Aazam CRSPL	Udaipur	[illegible]
7	[illegible]	उदयपुर	[illegible]
8	[illegible]	गाव–बोडकी, [illegible]	[illegible]
9	[illegible]	बोडकी [illegible]	[illegible]
10	[illegible]	बोडकी	[illegible]
11	[illegible]	बोडकी	[illegible]
12	पारस बोडकी	बोडकी	पारस
13	रामलाल	बोडकी	रामलाल / नानु
14	नाथुराम	बोडकी	प्रताप
15	प्रताप सिंह	बोडकी	नाहर
16	नाहर सिंह	बोडकी	[illegible]
17	हरिलाल	बोडकी	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	प्रकाश चन्द्र मीणा	बोरवा	[illegible]
20	[illegible]	बोडकी	[illegible]
21	[illegible]	बोडकी	[illegible]

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
22	भैरु लाल मीणा	बोड़की	भैरु लाल
23	कालु लाल मीणा	बोड़की	कालु
24	विजय	बोडकी	विजय

PLOT NO. -37

पर्यावरणीय स्वीकृती हेतु लोक सुनवाई

पर्यावरणीय स्वीकृती हेतु लोक सुनवाई

पर्यावरणीय स्वीकृती हेतु लोक सुनवाई

TY e-Tender Notice

Municipality and Muriyad &
Construction of 18 MLD WTP
nder fee :Rs. 17,700/-,
3:00 pm, Phone : 0487-2423230
kerala.gov.in

Superintending Engineer
PH Circle
Thrissur

TY e-Tender Notice

pe line extension/replacement
y-K & T Zone.
. Last Date for submitting
: 0497705902 ,
rs.kerala.gov.in

Superintending Engineer
PH Circle
Kannur

Circle Office: IIIrd Floor, LIC Building,
Udaipur-313002, Ph.: 0294-2688005

ON RENT

in Banswara District at the following

Carpet Area Sqft.
800-1000 Sq.ft
800-1000 Sq.ft

premises who have the commercial
ra on ground floor and can changed/
h space of parking, full detail of their
ocuments with the copy of technical
aled in each separate envelope after
3, 05:00 PM to Circle Head, Punjab
City Center, Udaipur-313002. Bank
ssigning any reason. For details visit
ase write on main part of envelope
ch". **Circle Head**

h Office : Sawaimadhopur

3 (i)]
ovable Property)

icer of the **Central Bank of India,**
construction of Financial Assets and
and in exercise of powers conferred
nterest (Enforcement) Rules, 2002
the **Borrower Mrs. Mamta Jaiswal**
Mortgagor) to repay the amount
Ten Lakh Seventy Eight Thousand
2023, within 60 days from the date

s hereby given to the borrower and
session of the property described
under Section 13(4) of the said Act
the **Year 2023.**
eby cautioned not to deal with the
t to the charge of the **Central Bank**
8,317/- (Rupees Ten Lakh Seventy
terest w.e.f. 11.01.2023 plus other
e U/Section 13(2) has given effect)
on (8) of section 13 of the SARFAESI
ets.

E PROPERTY

amta Jaiswal W/o Mr. Kamlesh
Sawaimadhopur (Raj.).

uth : Road

orized Officer, Central Bank of India

h Office : Sawaimadhopur

3 (I)]
ovable Property)

cer of the **Central Bank of India,**
onstruction of Financial Assets and
nd in exercise of powers conferred
terest (Enforcement) Rules, 2002
the **Borrower Mr. Satyanarayan**
W/o Satyanarayan Meena (Co-
in the notice being **Rs. 9,86,624/-**
nty Four Only) plus interest w.e.f.
aid Notice.
hereby given to the borrower and
ssion of the property described
nder Section 13(4) of the said Act
he **Year 2023.**
eby cautioned not to deal with the
t to the charge of the **Central Bank**
24/- (Rupees Nine Lakh Eighty Six
e.f. 11.01.2023 plus other charges.
on 13(2) has given effect)
n (8) of section 13 of the SARFAESI
s.

E PROPERTY

narayan Meena S/o Meetha Lal
(Raj.).

5 South : Plot No. 3

E-Procurement Notice

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

HIMACHAL PRADESH STATE ROADS TRANSFORMATION PROJECT (HPSRTP)

REQUEST FOR BIDS (RFB)
(Two-Envelope Bidding Process with e-Procurement)
NATIONAL OPEN COMPETITIVE PROCUREMENT

Name of the project: Construction of Balance Cantilever Bridge at Garkhal on Lumpsum Basis.

Date: May 06, 2023

The Director (Projects), HPRIDCL, Nirman Bhawan, Nigam Vihar, Shimla-171002, Himachal Pradesh, India on behalf of Governor of Himachal Pradesh, invites online bids (separate) for the construction of the works detailed in the table:-

Name of Work	Bid Security (Rs.)	Cost of Document (Rs.) in cl. GST	Period of Completion	Estimated Cost (INR),	Date of availability of bid Documents	Last date & Time for submission of Bids
Construction of Balance Cantilever Bridge at Garkhal on Lumpsum Basis.	Bid Security INR 56.85lakhs	Rs. 5,900	24 Months	22.74 Cr Incl. 18% GST	May 15.2023	June 12, 2023

The detailed Request for Bids (RFB) Notice, Bidding Document alongwith other necessary information will be available on https://himachalservices.nic.in/hpridc/HPSRTP.html & https://hptenders.gov.in/ link.

Note:- Any further addendum/Corrigendum to this Request for Bids (RFB) Notice shall be available to all interested bidders on official web site of HPRIDC under https://himachalservices.nic.in/hpridc/HPSRTP.html & https://hptenders.gov.in/ link.

Director (Projects)
HPRIDCL, Nirman Bhawan
Nigam Vihar Shimla-171002

0119/HP

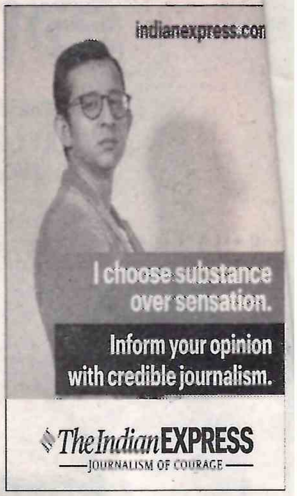

KOCHI METRO RAIL LIMITED
(A joint venture company of Govt. of India & Govt. of Kerala)
4th Floor, JLN Stadium Metro Station, Kaloor, Ernakulam-682017
Ph: 0484-2846700

E-TENDER

1) **Road Widening of Palarivattom Junction to Kunnumpuram Junction (CH. plus 900.00 to CH. plus 4550.00) in connection with KMRL Phase II preparatory works**
Tender Id : 2023_kmrl_574558_1
Last date of bid submission : 17-May-2023 06:00 PM
2) **Construction of Flyover at Sreekaryam in Thiruvananthapuram**
Tender Id : 2023_kmrl_575063
Last date of bid submission : 29.05.2023 05:30 PM

Tender documents can be downloaded from
www.etenders.kerala.gov.in / www.kochimetro.org

Further corrigendum & addendum will be published only on website

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Address : F-470, Near UCCI Building, M.I.A. Udaipur (Raj.)
Email : rorpcbudaipur@gmail.com Phone No.: 0294-2491269

No.: RPCB/RO U/UDR/203 **Dated : 05/05/23**

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सुचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मैसर्स इन्फिनिटी ईन्फ्रा द्वारा क्वार्टज एवं फैल्सपार (अप्रधान खनिज) खदान प्लॉट संख्या 37 खनन क्षेत्रफल 4.0906, उत्पादन क्षमता 289300, (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 19.9234 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 1406791 टन प्रति वर्ष आर.ओ.एम.), निकट ग्राम- बोडकी, तहसील - लसाडिया, जिला- उदयपुर से सम्बंधित क्लस्टर प्रस्तावित परियोजना बाबत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं।

2. चूंकी मैसर्स इन्फिनिटी ईन्फ्रा, खनन पट्टा प्लॉट संख्या 37 खनन क्षेत्रफल 4.0906, उत्पादन क्षमता 289300 टन प्रति वर्ष आर.ओ.एम. द्वारा बोडकी क्वार्टज एवं फैल्सपार (अप्रधान खनिज) माइन क्लस्टर परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बंध में पर्यावरणीय जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेज के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां तथा बाद में मंडल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं। क्लस्टर में सम्मिलित अन्य खनन परियोजनाए 1. मैसर्स ए एम आर स्टोन एम एल न. 01/2018 एरिया 3. 8605 हैक्टेयर 2. मैसर्स एस ए एम बी इण्डस्ट्रीज एम एल न. 02/2018, एरिया 2.2781 हैक्टेयर 3. मैसर्स बोडकी माईन्स एम एल न. 03/2018 एरिया 2.9215 हैक्टेयर 4. श्री रामदेव तेली एम एल न. 05/2018, एरिया 3.3862 हैक्टेयर 5. श्री प्रदीप कोठारी म एल न. 06/2018, एरिया 3.3865 हैक्टेयर (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 19.9234 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 1406791 टन प्रति वर्ष आर.ओ.एम.) हैं।

3. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

4. उक्त परियोजना से सम्बंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है -

1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर। 2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय- 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।. 3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ. प्र)। 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर। 6) उपखण्ड अधिकारी, लसाड़िया, जिला-उदयपुर। 7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। 8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 13.06.2023 (मंगलवार) को प्रातः 11.00 बजे, राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्र, शोभजी का गुड़ा, ग्राम-बोड़की, तहसील - लसाड़िया, जिला- उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड- 19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर मे भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफः 470.यू. सी. सी. आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)
ई-मेल : rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं. : 0294-2491269

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मैसर्स स्काई स्टोन द्वारा क्वार्टज एवं फैल्सपार (अप्रधान खनिज) खदान प्लॉट संख्या 36 खनन क्षेत्रफल 4.0090, उत्पादन क्षमता 264890, (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 19.8418 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 1382381 टन प्रति वर्ष आर.ओ.एम.), निकट ग्राम- बोड़की, तहसील-लसाड़िया, जिला- उदयपुर से सम्बंधित क्लस्टर प्रस्तावित परियोजना बाबत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA), पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं।

2. चूंकी मैसर्स स्काई स्टोन, खनन पट्टा प्लॉट संख्या 36 खनन क्षेत्रफल 4.0090, उत्पादन क्षमता 264890 टन प्रति वर्ष आर.ओ.एम. द्वारा बोड़की क्वार्टज एवं फैल्सपार (अप्रधान खनिज) माइन क्लस्टर परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बंध में पर्यावरणीय जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेज के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां तथा बाद में मंडल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं। क्लस्टर में सम्मिलित अन्य खनन परियोजनाए 1. मैसर्स ए एम आर स्टोन एम एल न. 01/2018 एरिया 3.8605 हैक्टेयर 2. मैसर्स एस ए एम बी इण्डस्ट्रीज एम एल न. 02/2018, एरिया 2.2781 हैक्टेयर 3. मैसर्स बोड़की माईन्स एम एल न. 03/2018 एरिया 2. 9215 हैक्टेयर 4. श्री रामदेव तेली एम एल न. 05/2018, एरिया 3.3862 हैक्टेयर 5. श्री प्रदीप कोठारी एम एल न. 06/2018, एरिया 3.3865 हैक्टेयर (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 19.8418 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 1382381 टन प्रति वर्ष आर. ओ. एम.) हैं।

3. चूंकी मंडल को उक्त परियोजना हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसुचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14/09/2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सुचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य हैं।

4. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-

1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर।
2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय - 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर।
4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.)
5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।
6) उपखण्ड अधिकारी, लसाड़िया, जिला - उदयपुर।
7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उप (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 13.06.2023 (मंगलवार) को प्रातः 11.30 बजे, राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्र, शोभजी का गुड़ा, ग्राम-बोड़की, तहसील-लसाड़िया, जिला-उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप कोविड- 19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications.

बधु, विजेंद्र सिंह सोलंकी, विश्वास, कनक शशिकांत, रमेश नागदा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

डिजिटल मार्केटिंग पर निशुल्क कार्यशाला कल से

ब्यूरो नवज्योति/ उदयपुर। सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग को देखते हुए एनएसडीए अशोक नगर स्थित शाखा पर 8 व 9 मई को डिजिटल मार्केटिंग की दो दिवसीय निशुल्क कार्यशाला आयोजित होगी। यह जानकारी एनएसडीए की संस्थापक तारिका भानुप्रतापसिंह धायभाई ने दी।

...धिकारी लाइन हाजिर

...ला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने ...लवाड़ा थानाधिकारी हेमंत अहारी को ...दयपुर में आने से पहले प्रतापगढ़ जिले ...ले में चार्जशीट दी गई थी। मामले को ...ी और इसके बाद अहारी के खिलाफ

...ब्यूरो नवज्योति/ उदयपुर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सम्भाग मुख्या... पर टीएडी के सहयोग से ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थान के माध्यम से नीट प... की निशुल्क कोचिंग उपरांत रविवार को पहली बार जनजाति अंचल की 2... बेटियां नीट की परीक्षा देने जाएंगी। इन प्रतिभावान बेटियों को जनजाति क्षे... विकास विभाग के मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया और जनजाति क्षेत्रीय वि... विभाग के आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने शुभकामना पत्र भेजकर सफलता की का... की है।

...ा तक सड़क चौड़ी कराएं

...ते हुए साइफन चौराहा से ...ाने का आग्रह किया। व्यास ...बताया कि यहां कई दुर्घटनाएं ...होने जनहित में देखते हुए ...य सड़क को चौड़ाकर जल्द ...ावश्यकता बताई। व्यास ने बताया कि वर्तमान में बड़गांव के 900 मीटर क्षेत्र में सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। इसे साइफन से कविता तक बढ़ाया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से पेराफेरी क्षेत्र में बिलानाम व आबादी जमीन पर वर्षों से बने हुए मकानों के पट्टे देने का अधिकार ग्राम पंचायतों को देने की मांग भी की।

कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: F. 11 ( )Regm-/Savina Khera/2023/2867-2871 दिनांक: 4/05...

आम - सूचना.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम सवीना खेड़ा के निम्नलिखित आराजीयात की भूमि का राजस्व... भू— राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90- क के अधीन कृषि भूमि का गैर- कृषि प्रयोजन हेतु अनुज्ञा आदेश ... करते हुए उक्त भूमि के खातेदार द्वारा न्यास अनुमोदित प्लान में स्थित भूखण्डों का खातेदारों द्वारा जरिये प्रोविजनल आवंटन पत्र / कब्जा पत्र (प्रपत्र - द) निष्पादित करते हुए वर्णित खसरा भूमि के अनुमोदित प्लान में स्थित भूखण्ड... आवंटन / पट्टा, समनुदेशिति / नोमिनी के नाम जारी किये गये थे जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

खसरा नम्बर	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	मूल खातेदार अनुसार भूखण्डधारी	प्रोविजनल भू-आवंटन पत्र (प्रपत्र- द) नोमिनी / समनुदेशिति का नाम
2203/235	1	2050	श्री [illegible] पिता श्री [illegible] मेनारिया	श्री प्रकाशचन्द्र पिता श्री [illegible] जी ...
2204/235	1	1800	श्री भूपेन्द्र मेनारिया पिता श्री [illegible] मेनारिया	श्री प्रकाशचन्द्र पिता श्री [illegible] जी ...
2205/235	1	1800	श्री [illegible] पिता श्री [illegible] मेनारिया	श्री प्रकाशचन्द्र पिता श्री [illegible] जी ...
2202/235	1	2450	श्रीमती पुष्पा मेनारिया पिता श्री [illegible] मेनारिया	श्री प्रकाशचन्द्र पिता श्री [illegible] जी ...

उपरोक्त वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर के संबंध में दिनांक 28.04.2023 सभी खातेदारों एवं समनुदेशिति / नोमिनी द्वारा आवेदन पत्र एवं [illegible] / [illegible] प्रस्तुत कर समस्त प्रपत्र-द एवं प्रपत्र- द के [illegible] जारी आवंटन निरस्त करते हुए मूल खातेदारों के नाम से ही आवंटन जारी ... हेतु निवेदन किया गया है। अतः वर्णित आराजीयात में स्थित उपयुक्त [illegible] अनुसार भूखण्ड का मूल खातेदारों के नाम से आवंटन जारी किये जाने ... संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो इस सार्वजनिक सूचना पत्र के प्रकाशन से 7 दिवस में इस कार्यालय... को प्रस्तुत करावें। इस अवधि पश्चात भूखण्ड का आवेदक के आवेदक / नोमिनी के पक्ष में [illegible] / आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी।

प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास प्रन्यास, उदय...

DNU 2833...

...कारिता प्रकोष्ठ की वर्चुअल बैठक

...र। भाजपा सहकारिता ...मर ने कहा कि सहकारिता ...लेकर संकल्पित भाजपा ...ी कार्य संगठनात्मक, ...ाध्यम से लक्ष्य एवं समय ...से कार्य खड़ा करेगी। वे ... की सहकारिता प्रकोष्ठ ...त कर रहे थे। बैठक में मन की बात के 100वें संस्करण संस्थागत एवं विगत समय संपन्न चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन तथा सत्तारूढ़ दल की विसंगतियों, अंत्योदय सहकारिता व्याख्यान एवं गोष्ठी, प्रशिक्षण शिविर, प्रदेश कार्यसमिति, वृहत सहकार जनप्रतिनिधि सम्मेलन पर चर्चा की गई। प्रदेश संयोजन सुनील कुमावत, शिवस्वामी, प्रदेश सह संयोजक एवं प्रदेश सहसंयोजक प्रताप सिंह बिठिया, पुष्पेंद्रसिंह कुड़की, डॉ गीता पटेल, दीपिका चौहान ने विचार व्यक्त किए।

...रोकथाम ...ा अभियान

...र। पुलिस अधीक्षक ...क्षावृति रोकथाम एवं ...अभियान उमंग-01 ...ा एएसपी मंजीतसिंह ...प्रभारी मानव तस्करी ...हर में भिक्षावृति के ..., सुखाड़िया सर्कल, ...सर्कल के आसपास ...भिक्षावृति करते पाए ... उनके मां बाप व ...समझाइश की।

नारियल चढ़ाने की बात को लेकर मारपीट

ब्यूरो नवज्योति/ उदयपुर। हिरणमगरी थाना क्षेत्र में नारियल चढ़ाने के विवाद में मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार अंकित पत्नी विनोद मेनारिया निवासी शिव मंदिर के पास पानेरियों की मादड़ी ने रिपोर्ट दी कि शुक्रवार को दोपहर करीब 3.30 बजे उसके ससुर के लिए बैसाखी पूनम होने से पूर्वज बैठे हुए थे। वह उनको भेंट करने के लिए नारियल लाई थी। इस दौरान सास लीलाबाई ने झगडा किया कि ये नारियल पति को क्यों चढ़ा रही है। उसके बाद पति विनोद मेनारिया को फोन कर घर बुलाया, जिसने जूतों सहित उसके लातें मारी।

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Address : F-470, Near UCCI Building, M.I.A. Udaipur (Raj.)
Email : rorpcbudaipur@gmail.com Phone No.: 0294-2491269

No.: RPCB/RO U/UDR/203 Dated : 05/05/23

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सुचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मैसर्स इन्फिनिटी ईन्फ्रा द्वारा क्वार्टज एवं फैल्सपार (अप्रधान खनिज) खदान प्लॉट संख्या 37 खनन क्षेत्रफल 4.0906, उत्पादन क्षमता 289300, (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 19.9234 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 1406791 टन प्रति वर्ष आर.ओ.एम.), निकट ग्राम- बोडकी, तहसील - लसाडिया, जिला- उदयपुर से सम्बंधित क्लस्टर प्रस्तावित परियोजना बाबत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
2. चूंकी मैसर्स इन्फिनिटी ईन्फ्रा, खनन पट्टा प्लॉट संख्या 37 खनन क्षेत्रफल 4.0906, उत्पादन क्षमता 289300 टन प्रति वर्ष आर.ओ.एम. द्वारा बोडकी क्वार्टज एवं फैल्सपार (अप्रधान खनिज) माइन क्लस्टर परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बंध में पर्यावरणीय जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेज के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहां तथा बाद में मंडल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। क्लस्टर में सम्मिलित अन्य खनन परियोजनाए 1. मैसर्स ए एम आर स्टोन एम एल न. 01/2018 एरिया 3.8605 हैक्टेयर 2. मैसर्स एस ए एम बी इण्डस्ट्रीज एम एल न. 02/2018, एरिया 2.2781 हैक्टेयर 3. मैसर्स बोडकी माईन्स एम एल न. 03/2018 एरिया 2.9215 हैक्टेयर 4. श्री रामदेव तेली एम एल न. 05/2018, एरिया 3.3862 हैक्टेयर 5. श्री प्रदीप कोठारी म एल न. 06/2018, एरिया 3.3865 हैक्टेयर (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 19.9234 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 1406791 टन प्रति वर्ष आर.ओ.एम.) है।
3. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
4. उक्त परियोजना से सम्बंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है-

1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर। 2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय- 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ. प्र) । 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर। 6) उपखण्ड अधिकारी, लसाड़िया, जिला-उदयपुर। 7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। 8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ - 470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 13.06.2023 (मंगलवार) को प्रातः 11.00 बजे, राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्र, शोभजी का गुड़ा, ग्राम-बोडकी, तहसील - लसाड़िया, जिला- उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड- 19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर मे भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

DNJ-283332

...ी डवलपमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ

...हैं। आज भी अच्छी शिक्षा ...वीए निदेशक डॉ. पीके जैन ...रकारी उदासीनता के बारे ...र विभागाध्यक्ष डॉ. हर्षिता ...ग्राम में गुड़गांव के एमडीआई के पूर्व निदेशक सीपी श्रीमाली, एफएमएस उदयपुर के प्रो. हनुमान प्रसाद एवं एमएलएसयू पूर्व डीन सीमा मलिक विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम में वित्त नियंत्रक बीएल जांगिड़ सहित पूरा गीतांजलि परिवार उपस्थित था।